उ० प्र०

इन्तखाब खतौनी

जिमन श्रेणी-1(क)-भूमिधर [illegible]

ग्राम औरनन्दी [illegible] परगना पहाड़ा तहसील सदर जिला फर्रुखाबाद

सन् 1425 फसली से 1430 फसली तक

नं० खाता	नाम काश्तकार मय पता	मुद्दत काश्त	नम्बर खसरा	क्षेत्रफल	माल गुजारी	परावर्तन 7	परावर्तन 8	परावर्तन 9	परावर्तन 10	परावर्तन 11	परावर्तन 12	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
191	नन्दराम, हीरेलाल पुत्रगण मिहीलाल व जयपाल व इन्द्रपाल व [illegible] पुत्रगण श्यामलाल नि० [illegible] अहमदगंज	फ्रीहोल्ड 1356	38 39 56 68 69 5	0.24 0.39 0.54 0.37 0.41 1.95	36.80	1401 F						

आदेश श्रीमान N.T. A. न० मु० 47/30-12-93 धारा नं० 30 ... लगान 600 के अन्दर सम्पूर्ण भाग है। जयपाल सिंह व [illegible] पुत्रगण श्यामलाल नि० [illegible] अहमदगंज का नाम खारिज करके [illegible] देवी पत्नी हरी सिंह नि० [illegible] अहमदगंज फर्रुखाबाद का नाम बतौर सं० भूमि० दर्ज हो। [illegible] 1/94

आदेशानुसार श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय [illegible] प्रपत्र 6 भाग 2 के क्र० न० मिति 257/16-3-13 को आदेश हुआ कि खाता सं० 191 में नन्दराम पुत्र मिहीलाल मृतक के स्थान पर उसके लड़के ... हरवीर सिंह पुत्र नन्दराम नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। [illegible] 1/3/13

आदेश श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय [illegible] के मु० नं० [illegible] 159/[illegible] को आदेश हुआ कि खाता सं० 191 में अंकित गा० नं० 39/0.24 [illegible] में से केवल 1/2 भाग के विक्रेता [illegible] देवी पत्नी हरवीर सिंह नि० [illegible] अहमदगंज का नाम खारिज करके क्रेता श्रीमती अंजू [illegible] पत्नी मनोज [illegible] नि० [illegible] अहमदगंज [illegible] का नाम बतौर विक्रय पत्र सं० भूमि० दर्ज हो। रा० अ० [illegible] 60 G [illegible] है।
[illegible] 3/13 21/5/13

आदेशानुसार श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय [illegible] प्रपत्र 6 भाग 2 के क्र० न० मि० 283/21-2-15 को आदेश हुआ कि खाता सं० 191 में हीरेलाल पुत्र मिहीलाल मृतक के स्थान पर उसके लड़के प्रवीन कुमार नाबालिग आयु 12 वर्ष व [illegible] देवी नाबालिग आयु 10 वर्ष पुत्र/पुत्री श्रीपाल संरक्षिका माता स्वयं व श्रीमती [illegible] देवी पत्नी स्व० श्रीपाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। 23/1/15.

आदेशानुसार श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय [illegible] प्रपत्र 6 भाग 2 के क्र० न० मि० 206/10/10.14 को आदेश हुआ कि खाता सं० 191 में प्रपत्र 6 के क्र० नं० 257 दि० 16-3-13 का [illegible] निरस्त करते हुए [illegible] के लड़के [illegible] हरवीर सिंह पुत्र नन्दराम व [illegible] सिंह पुत्र महेन्द्रपाल व श्रीमती [illegible] देवी पत्नी स्व० महेन्द्रपाल व कु० प्रीती पुत्री स्व० [illegible] (नाबालिग) नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। 27/11/14

आदेश श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय प्रपत्र 6 भाग 2 क्र० न० मि० 381/18-10-21 को आदेश हुआ कि खाता सं० 191 में इन्द्रपाल सिंह पुत्र श्यामलाल मृतक के स्थान पर उनके भाई जयपाल सिंह व [illegible] पुत्रगण श्यामलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। 18/10/2021

आदेश श्रीमान तह० अधि० अतिरिक्त महोदय [illegible] के वाद सं० 120/2021 दि० 5/3/2022 को आदेश हुआ कि खाता सं० 191 में अंकित गाटा 56/0.54, 68/0.31 कुल 2 किता/0.85 हे० से अपने सम्पूर्ण भाग के विक्रेता प्रवीन कुमार पुत्र स्व० श्रीपाल व श्रीमती [illegible] देवी पत्नी स्व० श्रीपाल व कु० [illegible] देवी नाबालिग उम्र 10 वर्ष पुत्री स्व० श्रीपाल संरक्षिका माता श्रीमती [illegible] देवी पत्नी स्व० श्रीपाल नि० [illegible] अहमदगंज [illegible] का नाम खारिज करके उनके स्थान पर केता मेजर [illegible] सिंह [illegible], [illegible] (पुत्र [illegible]) फतेहगढ़ [illegible] द्वारा [illegible] डा० प्रीति सिंह पुत्री [illegible] सिंह पत्नी डा० नागेन्द्र सिंह नि० [illegible] फतेहगढ़ फर्रुखाबाद का नाम बतौर विक्रय पत्र दि० 12.05.2021 व 03.05.2021 के [illegible] सं० भूमि० [illegible] दर्ज हो। [illegible] 60 [illegible] है।
[illegible] 03/3/2022

कुल पन्ने [illegible] 2/-

प्राप्ति स्थान : शिव प्रिंटिंग प्रेस, कचहरी-पुलिस लाइन रोड, फतेहगढ़ मो. 9839482340

(2)

आदेश श्रीमान सहा० अभि० अधि० महोदय न० मु० वा० सं० 299/2021 दि० [illegible]/2022 को आदेश हुआ कि खाता सं० 191 में अंकित गाटा सं० 56/0.54, 68/0.31 कुल 2 किता/0.85 हे० में अपने सम्पूर्ण अंश में से 1/2 भाग के विक्रेता [illegible] का नाम खारिज करके उसके स्थान पर [illegible] विक्रय पत्र [illegible] दर्ज हो। [illegible] अनुपालन 60क निर्मित हो। [illegible]/2022

आदेश श्रीमान सहा० अभि० अधि० महोदय वा० मु० वा० सं० 300/2021/05.07.2022 को आदेश हुआ कि खाता सं० 191 में अंकित गाटा सं० 56/0.54, 68/0.31 कुल 2 किता/0.85 हे० के अपने सम्पूर्ण अंश में से 1/2 भाग के विक्रेता [illegible] का नाम खारिज करके उसके स्थान पर [illegible] का नाम विक्रय पत्र सं० 13726 दि० 01.10.2021 के आधार पर [illegible] दर्ज हो। [illegible] अनुपालन 60क निर्मित हो। 07/03/2022

आदेश श्रीमान सहा० अभि० अधि० महोदय न० मु० वा० सं० 174/2021 दि० 21/4/2022 को आदेश हुआ कि खाता सं० 191 में अंकित गाटा सं० 56/0.54, 68/0.31 कुल 2 किता/0.85 हे० में अपने सम्पूर्ण अंश में [illegible] विक्रय पत्र सं० 12066 दि० 03.9.2021 के आधार पर [illegible] दर्ज हो। [illegible] अनुपालन 60क निर्मित हो। 14/4/2022

सत्यप्रतिलिपि नियमानुसार [illegible]

[illegible]
28.06.2022

प्रमाणित

रजिस्ट्रार कानूनगो 28/06/2022
[illegible]